

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा।

दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-30/2022-23

श्री/श्रीमती-मो० सनाउल्लाह.....अपीलकर्ता।

बनाम

सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादी।

आदेश

यह अपील वाद श्री/श्रीमती मो० सनाउल्लाह पिता-स्व० अब्दुल मियां, साकिन-झलपो, जिला-कोडरमा के द्वारा अंचल अधिकारी, जयनगर के नामान्तरण वाद संख्या-3617/2020-21 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है।

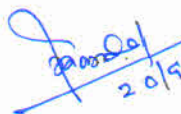
अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दाखिल-खारिज हेतु ऑफलाईन अपील आवेदन दाखिल किया गया है। जबकि अपीलार्थी का नामान्तरण अंचल कार्यालय से ऑनलाईन के माध्यम से अस्वीकृत किया गया था।

विदित हो कि वर्ष 2017 से ऑनलाईन के माध्यम से नामान्तरण का प्रक्रिया लागू है। चूंकि आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उक्त नामान्तरण के विरुद्ध ऑफ-लाईन (RCMS) पोर्टल के माध्यम से अपील किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त अपील वाद में आदेश पारित करने के उपरान्त अंचलाधिकारी के लॉगिन में उक्त नामान्तरण वाद प्रदर्शित नहीं होगी जिसके कारण अंचल स्तर पर आपका नामान्तरण स्वीकृत/रद्द करने में तकनीकी समस्या आ सकती है। साथ ही अपीलार्थी को निदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में झारभूमि पोर्टल के माध्यम से अपील करने के उपरान्त ही उक्त अपील पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा विचार/आदेश करने की अनुमति दी जा सकती है।

अतः अपील वाद संख्या-30/2022-23 में बिना कोई प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
कोडरमा।


20/5/22
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
कोडरमा।